सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मैनुअल – 3

निर्णय करने की प्रक्रिया (परिवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित)

(The Procedure Followed in the Decision Making Process, Including Channels of Supervision and Accountability)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में निर्णय लेने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित)

(The Procedure Followed in the Decision Making Process, Including Channels of Supervision and Accountability)

उत्तराखण्ड राज्य में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश एवं संयंत्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व संचालित चाय विकास परियोजना को समस्त चल–अचल सम्पत्ति सहित समाहित करते हुए शासनादेश संख्या–159/व0ग्र0वि0/उद्यान/338/2003 दिनांक 11–02–20024 द्वारा उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड गठन का शासनादेश संलग्न है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1031/XVI–2/17/01(17)/ 2017 दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 से उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद का पुनर्गठन कर निम्न विवरणानुसार सदस्य नामित किये गये है।

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2– सचिव/अपर सचिव, उद्यान उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4– सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5– भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6– निदेशक, चाय शोध, गो0ब0पं0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उधमसिंह नगर	सदस्य
7– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उत्तराखण्ड	सदस्य
8– राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
9– निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
10– चाय के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव/ज्ञान युक्त दो व्यक्ति जो श्री राज्यपाल द्वारा नामित किये जाएं–गैर सरकारी	सदस्य

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अपने कर्तब्यों और प्रयोजनार्थ उल्लिखित समस्त कृत्यों के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्त बन सकेगा और उन अधिकारों का प्रयोग करेगा जो उन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों किन्तु ऐसे नीतिगत प्रकरण जो बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापक क्षेत्र के लिए हों वे शासकीय अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित किये जाते हैं।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की नियमावली के अधीन बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों, वैज्ञानिकों और अन्य संवर्गो में नियुक्तियाँ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बोर्ड के समस्त प्रकरण उसकी आय, चल एवं अचल संपत्ति एवं वित्तीय व्यवस्थायें बोर्ड की नियमावली एवं बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रबंधित, प्रशासित, निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। निदेशक के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले वित्तीय एवं नीतिगत मामलों को प्रबन्ध परिषद की अनुमति से निदेशक द्वारा शासन को प्रेषित किया जाता है।

———